फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 283/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/310) **श्री डालु गुर्जर व अन्य बनाम श्रीमती प्रेमीबाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.02.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री पी.सी.पालीवाल - वकील अपीलार्थी 2. श्री नरेश जणवा - वकील प्रत्यर्थी-1 से 3 **अनवान** 1. श्री डालु पिता श्री माना गुर्जर, कचनारिया, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ **अपीलार्थी** 1. श्रीमती प्रेमीबाई पत्नि श्री रतनलाल गुर्जर, कचनारिया, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 2. सीमा पुत्री श्री रतनलाल गुर्जर, कचनारिया, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 3. मंजु पुत्री श्री रतनलाल गुर्जर, कचनारिया, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 4. सरपंच ग्राम पंचायत कांटी तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार, बप्रकरण संख्या 10/2021 निर्णय दिनांक 14.10.2021 (अनवान श्रीमती प्रेमीबाई व अन्य बनाम श्रीमती जमनी व अन्य)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 09.02.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार, बप्रकरण संख्या 10/2021 निर्णय दिनांक 14.10.2021 (अनवान श्रीमती प्रेमीबाई व अन्य बनाम श्रीमती जमनी व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार समक्ष नामान्तरकरण संख्या 944 दिनांक 22.02.2021 के विरूद्ध एक अपील अन्तर्गत धारा-75 एलआर एक्ट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भटवाड़ा खुर्द पटवार हल्का भटवाड़ा खुर्द ग्राम पंचायत कांटी, तहसील गंगरार के जमाबंदी संवत् 2076 के खाता संख्या 199 में वर्णित आराजी संख्या 6, 7 किता 2 रकबा 1.28 हैक्टेयर के संबंध में एक वाद बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार में उनके द्वारा श्रीमती जमनी एवं डालु के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखा है, जिसके प्रकरण संख्या 65/2020 राजस्व वाद होकर प्रस्तुत वाद के साथ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र भी उपखण्ड अधिकारी, गंगरार समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी गंगरार द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 14.12.2020 को जारी कर सभी पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया कि वह रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे। उक्त आदेश की तामिल भी सभी पक्षकारान पर हो गई थी। उसके उपरान्त भी श्रीमती जमनी द्वारा श्री डालु के पक्ष में उक्त आराजीयात में अपने हिस्से का हक त्याग दिनांक 31.01.2021 को करा उसका पंजीयन करा दिया। उक्त हक त्याग के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 944 दिनांक 22.02.2021 को जमनी का हिस्सा डालु के नाम स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण पूर्णतया अविधिक होकर निरस्तनीय है क्योंकि विवादित आराजीयात पर स्थगन प्रभावी होने उपरान्त भी श्रीमती जमनी व डालु को जानकारी होने पर भी न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए हक त्याग करा ग्राम पंचायत को धोखें में रख नामान्तरकरण पारित करा लिया। अतः नामान्तरकरण निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें। • उपखण्ड अधिकारी, गंगरार द्वारा उक्त अपील को स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 14.10.2021 से नामान्तरकरण संख्या 944 दिनांक 22.02.2021 को निरस्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 283/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/310) **श्री डालु गुर्जर व अन्य बनाम श्रीमती प्रेमीबाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

करते हुए पुनः नामान्तरकरण की पूर्व स्थिति कायम करने के आदेश प्रसारित किये।

उक्त आदेश दिनांक 14.10.2021 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत की। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।

दिनांक 02.02.2023 को अधिवक्ता अपीलार्थी व प्रत्यर्थी-1 से 3 उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई। अन्य बावजुद सुचना अनुपस्थित।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि स्थगन आदेश दिनांक 14.10.2020 की जानकारी अपीलार्थी को कभी भी नहीं थी, इसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय समक्ष भी उज्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर गौर नहीं किया गया। उक्त स्थगन की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 22.02.2021 को नहीं थी। न ही ऐसा कोई नोटिस अन्य पक्षकारान को प्राप्त हुआ। उक्त आराजीयात के संबंध में रेस्पोडेंट ने नियमित वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है, जिसमें सभी पक्षों के हक व अधिकार तय होने है, ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार किया जाना किसी भी स्थिति में न्यायोचित नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी-1 से 3 की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया जो अवैधानिक होकर निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील मयाद बाहर थी, इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अभिवचन नहीं कर निर्णय पारित कर दिया, जो अविधिक है क्योंकि सर्वप्रथम मयाद का बिन्दु तय किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 944 को यथावत रखा जावें। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत (आरआरडी 1993 पेज 24, 2013(2) आरआरटी पेज 1252, 2015(2) आरआरटी पेज 1425, आरआरटी 2001 पेज 683) पेश किये।

प्रत्यर्थी-1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त बहस के खण्डन में प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत है। विवादित आराजीयात के संबंध में एक वाद बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार में उनके द्वारा श्रीमती जमनी एवं डालु के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखा है, जिसके प्रकरण संख्या 65/2020 राजस्व वाद होकर प्रस्तुत वाद के साथ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र भी उपखण्ड अधिकारी, गंगरार समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी गंगरार द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 14.12.2020 को जारी कर सभी पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया कि वह रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे। उक्त आदेश की तामिल भी सभी पक्षकारान पर हो गई थी। उसके उपरान्त भी श्रीमती जमनी द्वारा श्री डालु के पक्ष में उक्त आराजीयात में अपने हिस्से का हक त्याग दिनांक 31.01.2021 को करा उसका पंजीयन करा दिया। उक्त हक त्याग के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 944 दिनांक 22.02.2021 को जमनी का हिस्सा डालु के नाम स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण पूर्णतया अविधिक होकर निरस्तनीय है क्योंकि विवादित आराजीयात पर स्थगन प्रभावी होने उपरान्त भी श्रीमती जमनी व डालु को जानकारी होने पर भी न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए हक त्याग करा ग्राम पंचायत को धोखें में रख नामान्तरकरण पारित करा लिया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तार्किक एवं विधि सम्मत निर्णय पारित करते हुए खारिज किया गया। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी-1 से 3 द्वारा विवादित आराजीयात के संबंध में उपखण्ड अधिकारी गंगरार के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, जिसके प्रकरण संख्या 69/2020

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 283/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/310) **श्री डालु गुर्जर व अन्य बनाम श्रीमती प्रेमीबाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है व पक्षकार श्रीमती प्रेमबाई एवं जमनी हुए, उसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार द्वारा जारी स्थगन आदेश/फर्द अहकाम दिनांक 14.12.2020 की प्रति प्रस्तुत की गई। उक्त फर्दअहकाम राजकीय विभाग से जारी छाया प्रति है, जिसकी सत्यता पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। उक्त वाद एवं वर्तमान अपील एक ही न्यायालय यानि उपखण्ड अधिकारी, गंगरार समक्ष प्रस्तुत की गई। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है, कि उपखण्ड अधिकारी गंगरार को दोनों प्रकरणों के पक्षकारों पर तामिली एवं वस्तुस्थिति की जानकारी न हो। उपखण्ड अधिकारी, गंगरार ने अपीलाधीन निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि दिनांक 14.12.2020 को जारी स्थगन आगे से आगे तारिख पेशी पर बढ़ता रहा। यह स्पष्ट है कि जिस दिन 31.01.2021 को श्रीमती जमनी द्वारा श्री डालु के हक में हक त्याग किया गया, दिनांक 02.02.2021 को पंजीयन कराया और दिनांक 22.02.2021 को नामान्तरकरण स्वीकृत कराया, इन सभी दिवसों पर विवादित भूमि पर उपखण्ड अधिकारी, गंगरार द्वारा जारी स्थगन आदेश प्रभावी था, जिसकी पालना किया जाना अपेक्षित था।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2013(2) आरआरटी 1033 में मत प्रतिपादित किया है कि-

> Code of Civil Procedure, 1908 – Order 39, Rule 1 & 2 – Transfer of Property Act, 1882 – Sec.52 – Contract Act, 1872 – Sec- 23 Temporary injunction – Temporary Injunction granted – For want fo jurisdiction Court ordered to return the plain – Sale deed executed during the operation of injunction order & inviolation thereof – Sale deed was unlawful & void – High Court committed error in dismissing the appeal for want of substantial question of law – Held, Judgement set-aside & case remitted to High Court for disposal afresh.

उक्त न्यायिक दृष्टांत अनुसार निषेधाज्ञा आदेश के क्रियान्वयन के दौरान एवं उसके उल्लंधन में विक्रय पत्र एवं हस्तांतरण निष्पादित किया, वह अवैध व शुन्य है। हस्तगत प्रकरण में भी श्रीमती जमनी द्वारा ने जानबुझकर उपखण्ड अधिकारी, गंगरार द्वारा जारी निषेधाज्ञा के प्रभावी होने पर भी विवादित भूमि का हक त्याग कर दिया, ऐसा हक त्याग माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के आलोक में आरम्भ से अवैध व शुन्य है।

प्रकरण में यह भी प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत समक्ष नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान श्रीमती जमनी एवं डालु द्वारा उपखण्ड अधिकारी, गंगरार द्वारा जारी निषेधाज्ञा दिनांक 14.10.2020, जो तारिख पेशियों पर आगे बढ़ता रहा, के संबंध में कोई कथन प्रस्तुत नहीं किया गया। श्रीमती जमनी एवं डालु द्वारा जानबुझकर ग्राम पंचायत समक्ष वास्तविक वस्तुस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई और ग्राम पंचायत को धोखें में रख कर तथ्यों को छिपाकर नामान्तरकरण संख्या 944 पारित कराया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार द्वारा निरस्त करते हुए नामान्तरकरण की पूर्व स्थिति कायम करने का निर्णय पारित किया। ऐसे अविधिक निर्णय पर मयाद के बिन्दु लागु नहीं होते है। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

फलस्वरूप **अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है** और उपखण्ड अधिकारी, गंगरार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2021 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर